न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री जयसिंह आरएएस

0 – 57/2021 (2021/0088)

राजेन्द्र पुत्र श्री आशाराम जाति जाट वर्ष निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. आशाराम पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा।
2. भरतसिंह पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा।
3. वेदप्रकाश पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा।
4. बिमला पुत्री आशाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा।
5. राजबाला पुत्री आशाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा।
6. कृष्णा बेवा मोहनलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा।
7. श्योपत पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा।
8. प्रवीण पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र जाखड़ : वादी
वकील श्री राजेन्द्र सहारण : प्रतिवादी सं0 1 ता 8

निर्णय दिनांक : 16/7/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 17 एएमएस के खाता सं0 9/8 के मु0नं0 26 के किला नं0 9 ता 12, 19 प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला नं0 20/1 की 0.240 है0, किला नं0 21/1 की 0.240 है0 किला नं0 22 की 0.253 है0, मु0नं0 28 के किला नं0 19 ता 22 प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 29 के किला नं0 1/1 की 0.127 है0, किला नं0 2, 16, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0, कुल किता 16 कुल क्षेत्रफल 3.8960 है0 नहरी 3.795 है0 गै0मु0रास्ता 0.0760 है0 गै0मु0खाला 0.0250 है0 एवं चक 15 एएमएस के खाता सं0 5/6 के मु0नं0 39 के किला नं0 24 की 0.253 है0 मु0नं0 42 के किला नं0 3,4,7 प्रत्येक किला की 0.253 है0, कुल 1.012 है0 नहरी एवं चक 12 एएमएस के खाता सं0 2/2 के मु0नं0 52 के किला नं0 6/2 की 0.1020 है0, किला नं0 7, 14, 15 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 0.8610 है0 नहरी तीनों चकों की कुल 5.7680 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी ... वह पहले वादी के दादा भगवानाराम की खातेदारी हुआ करती थी, ... के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी आशाराम ने ... तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू ... तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का ... हक व अधिकार निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:42 IST
Reason: SelfAttested

वाद भूमि के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सं0 1 आशाराम, प्रतिवादी सं0 4 बिमला, प्रतिवादिया सं0 5 राजबाला ने वाद भूमि में अपना हक हिस्सा वादी राजेन्द्र एवं प्रतिवादी सं0 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) (जिला-हनुमानगढ़)

भरतसिंह, प्रतिवादी सं0 3 वेदप्रकाश तीनों को 1/4–1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 6 कृष्णा, प्रतिवादी सं0 7 श्योपत, प्रतिवादी सं0 8 प्रवीण को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था जिस पर कुल वाद भूमि प्रतिवादी आशाराम के नाम से दर्ज है वह भूमि वादी राजेन्द्र को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 भरतसिंह को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 वेदप्रकाश को 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 6 कृष्णा, प्रतिवादी सं0 7 श्योपत, प्रतिवादी सं0 8 प्रवीण को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के अनसार प्राप्त हो गई तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 भरतसिंह, प्रतिवादी सं0 3 वेदप्रकाश तीनों को 1/4–1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 6 कृष्णा, प्रतिवादी सं0 7 श्योपत, प्रतिवादी सं0 8 प्रवीण को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के कब्जा काश्त में चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में वाद भूमि आज भी प्रतिवादी आशाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 9 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी राजेन्द्र के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 17 एएमएस खाता सं0 9/8 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 15 एएमएस खाता सं0 5/6 सम्वत् 2076 से 79 प्रदर्श 2, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 12 एएमएस खाता सं0 2/2 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग चक 12 अमरसिंह सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग चक 15 अमरसिंह सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खेवट खतौनी चक 17 एएमएस सम्वत् 2034 से 37 प्रदर्श 6, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हस्तगत वाद वादी ने चक 17 एएमएस, 15 एएमएस व 12 एएमएस के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने दावा में अंकित किया है कि वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग चक 12 अमरसिंह सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग चक 15 अमरसिंह सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खेवट खतौनी चक 17 एएमएस सम्वत् 2034 से 37 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये है जिसमें वाद कृषि भूमि वादी के दादा भगवाना वल्द भूरा के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 में आशाराम के वारिसान में पत्नि भरपाई, दो पुत्रियां विमला व राजबाला मोजूद होना, तीन पुत्र जिसमें राजेन्द्र, भरतसिंह मौजूद व मोहनलाल फौत होना जिसके वारिसान में पत्नि [illegible] व दो पुत्र श्योपत व प्रवीण मौजूद होना अंकित है। इस प्रकार वादी का दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:42 IST
Reason: SelfAttested

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 एएमएस के खाता सं0 9/8 के मु0नं0 26 के किला नं0 9 ता 12, 19 प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला नं0 20/1 की 0.240 है0, किला नं0 21/1 की 0.240 है0 किला नं0 22 की 0.253 है0, मु0नं0 28 के किला नं0 19 ता 22 प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 29 के किला नं0 1/1 की 0.127 है0,

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), ...दरा (जिला-हनुमानगढ़)

राजेन्द्र बनाम आशाराम आदि, मु0नं0 57/2021 (21/0088)

किला नं0 2, 16, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0, कुल किता 16 कुल क्षेत्रफल 3.8960 है0 नहरी 3.795 है0 गै0मु0रास्ता 0.0760 है0 गै0मु0खाला 0.0250 है0 एवं चक 15 एएमएस के खाता सं0 5/6 के मु0नं0 39 के किला नं0 24 की 0.253 है0 मु0नं0 42 के किला नं0 3, 4, 7 प्रत्येक किला की 0.253 है0, कुल 1.012 है0 नहरी एवं चक 12 एएमएस के खाता सं0 2/2 के मु0नं0 52 के किला नं0 6/2 की 0.1020 है0, किला नं0 7, 14, 15 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 0.8610 है0 नहरी तीनों चकों की कुल 5.7680 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी राजेन्द्र 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 भरतसिंह 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 वेदप्रकाश 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं 6 ता 8 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण सं0 1, 4 व 5 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी, प्रतिवादी सं0 1 ता 3 एवं प्रतिवादीगण सं0 6 ता 8 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्त घोषणा अनुसार वाद कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3, 6 ता 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....16/7/21.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़)

(जयसिंह)

उपखण्डाधिकारी RAS,

उपखण्ड अधिकारी

भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:42 IST
Reason: SelfAttested